न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1393–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–7–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर अपील प्रकरण कमांक 306/05–06/अपील.

.....

केवलसिंह पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम
बागपुरा तहसील सेंवढा जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 अरविन्द
2 नरेश पुत्रगण मोतीलाल
3 चतुर सिंह
4 सीताराम
5 कल्लू
6 रतनसिंह पुत्रगण दयाराम
7 करनसिंह पुत्र बाबूलाल
8 प्रेमाबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल
9 रामरती पत्नी दयाराम
समस्त निवासी ग्राम बागपुरा तहसील सेंवढा
जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.10.2015 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक–306/05–06 में पारित आदेश दिनांक–19–7–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक केवल सिंह द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत बन्दोबस्त त्रुटि सुधार किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 6–10–98 को प्रस्तुत कर सर्वे क्रमांक 519/1 2 मिन रकबा 0.324 ग्राम बागपुर तहसील सेंवढा जिला दतिया, जिसका नया नंबर 373 बनाया गया था को पुराने सर्वे क्रमांक 519 के स्थान पर 373 बनाते समय बंदोबस्त के दौरान नक्शा बनाते समय गलत स्थान पर अंकित कर दिया गया था के सुधार करने हेतु निवेदन किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त इन्दरगढ़ से जांच रिपोर्ट दिनांक 3–10–2001 प्राप्त की गई, नायब तहसीलदार द्वारा यह जांच रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 16–10–2000 के आधार पर भेजी गयी थी ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30–10–2001 नायब तहसीलदार एवं दिनांक 16–10–2000 राजस्व निरीक्षक को आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण, क्रमांक 41/अ–5/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 31–8–2004 से आवेदित भूमि में सुधार किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–8–2004 के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां पर प्रकरण क्रमांक 9/अ/04–05 में पारित आदेश दिनांक 23–3–06 से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31–8–04 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि नये एवं पुराने अभिलेख का परिशीलन करें, यदि त्रुटि परिलक्षित होती है तो हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार नक्शे में सुधार हेतु इस न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

कलेक्टर, दतिया के उक्त आदेश दिनांक 23–3–06 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जहां प्रकरण क्रमांक 306/अपील/05–06 दायर होकर पारित आदेश दिनांक 19–7–2007 से कलेक्टर के आदेश को उचित मानते हुए अपील अस्वीकार

की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुःखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश दिनांक क्रमशः 23–3–06 एवं 19–7–07 में अंकित है जिन्हें यहां दोहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में निगरानी मेंमों में अंकित तथ्यों तथा अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों को भी यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर बारीकी से विचार किया जा रहा है ।

प्रकरण अनावेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय है । ऐसी स्थिति में अभिलेख के आधार पर निर्णय किया जाना योग्य प्रतीत होता है । तदनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं ।

4/ प्रकरण में विद्यमान तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक द्वारा जो आवेदन दिनांक 6–10–98 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि सर्वे क्रमांक 519/1 रकबा 0.324 हैक्टेयर का नया नम्बर 373 बनाते समय बंदोबस्त के दौरान नक्शों में गलत दर्शाया गया है तथा नक्शें में गलत आकृति बनाई गई है । पुराने नक्शें में नम्बर 519 के अक्श में खेत के नक्शे की आकृति में लम्बी पट्टी अलग से थी, जिसे नये सर्वेक्षण संख्याक बनाते समय हटा दिया गया है इस प्रकार नक्शे में त्रुटि स्पष्ट है तथा सर्वे नंबर 519 के स्थान पर 373 बनाते समय गलत स्थान पर दर्शा दिया गया है । जिसे सुधारने का निवेदन किया गया है ।

अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसके संलग्न राजस्व निरीक्षक दिनांक 16–10–2000 एव नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 3–10–2001 का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–10–2000 जो नायब तहसीलदार को भेजी गई है, में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पुराने सर्वे क्रमांक 519/1 के पुराने नक्शा एवं इसके स्थान पर बनाए गये नये नम्बर 373 के नक्शा में स्पष्ट भिन्नता पाई गई है, जो सुधार किया जाना आवश्यक है । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक

16–10–2000 की पुष्टि नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 3–10–01 से की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को उक्त त्रुटि सुधार हेतु अनुशंसा की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि विवादित सर्वे कमांक 373 रकबा 0.32 के रकबे में रकबा बरारी करने पर 0.25 हैक्टेयर रकबा होता है, जिसमें 0.7 हैक्टेयर की कमी है, जिसमें से 0.04 हैक्टेयर सर्वे नंबर 732 में तथा 0.03 हैक्टेयर सर्वे कमांक 731 में मिला हुआ पाया गया । इन सर्वे नम्बरों 732 एवं 731 से रकबा लेने पर कमी की पूर्ति होती है। किन्तु सर्वे कमांक 732 कुंदन सिंह के नाम दर्ज है तथा सर्वे कमांक 728 आवेदक केवल सिंह के नाम दर्ज है जिनका रकबा 0.04 हैक्टेयर पर वर्तमान में कुंदन सिंह का कब्जा है । उनके द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया कि सर्वे नंबर 731 में मुताबिक अभिलेख कुआ अंकित कर दिखाया गया है, जबकि कुआ 373 में बना हुआ है । यह स्थिति पुराने एवं नये पटवारी अभिलेख से मिलान कर दर्शायी गयी है । उनके द्वारा अपने आदेश में यह भी लिखा है कि आराजी नंबर 731 सर्वे नंबर 725, 726 एवं 727 में मिला हुआ है किन्तु सुधार हेतु मौके पर दौराने जांच कोई आपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई । ऐसी टीप राजस्व निरीक्षक एव नायब तहसीलदार के प्रतिवेदनों में अंकित है । उक्त आधार पर सर्वे कमांक 373 रकबा 0.32 हैक्टेयर के सुधार करने हेतु जो मौके पर रकबा बराबरी के मान से मात्र 0.25 हैक्टेयर है, जिसमें 0.07 हैक्टेयर की कमी पाई गई है जिस कि पूर्ति हेतु सर्वे नंबर 732 से 0.04 हैक्टेयर तथा सर्वे कमांक 731/2 से 0.03 हैक्टेयर लेने पर सर्वे कमांक 373 के रकबे की पूर्ति होती है, जो अभी वर्तमान में कमी रकबे पर कुंदन सिंह का कब्जा है, जिस पर केवल सिंह का नाम दर्ज किया जावे तथा आ0न0 728 रकबा 0.09 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हेक्टेयर कुंदनसिंह के नाम अंकित किया जावे तथा सर्वे नंबर 732 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर से कुन्दन सिंह का नाम निरस्त किया जावे । कुआं वर्तमान में 731 में अंकित किया गया है जिसे 373 में अंकित किया जावे । इस प्रकार उपरोक्तानुसार सुधार किए जाने के आदेश दिए गये ।

अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्तानुसार दिए गये सुधार आदेश दिनांक 31–8–04 से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मुख्यतः नक्शा त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया था किन्तु उनके द्वारा उसमें नक्शा त्रुटि में सुधार न करते हुए रकबा बरारी कर कमी रकबा में सुधार किया गया है, जिससे अन्य कृषक भी प्रभावित हुए है जिन्हें उनके द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न मूल आवेदन नक्शा सुधार के संबंध में कोई प्रकाश अपने आदेश में डाला गया है जबकि उनको चाहिए था कि यदि नक्शों में त्रुटि पाई जाती तो उसके संबंध में संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा सुधार हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए था, जिसकी कलेक्टर

को अधिकारिता है तथा रकबा में जो कमी थी उसके संबंध में प्रभावित होने वाले समस्त कृषकों को सूचना देकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में रकबा सुधार का आदेश पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया । इस संबंध में न्याय दृष्टांत जीवाजी राव वि0 सीमा 1988 राजस्व निर्णय 93 उच्च न्यायालय में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में परिवर्तन हितबद्ध पक्ष को सूचना दिए बिना नहीं किया जा सकता और ऐसा परिवर्तन हितबद्ध पक्षकार पर प्रभावी नहीं होगा ।

किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–8–04 में इन बातों का अभाव पाया गया, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेशों में प्रकाश डाला जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधि अनुकूल न मानते हुए निरस्त किया गया है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में न्यायिक प्रकिया का अनुसरण न कर प्रकियात्मक त्रुटि की गई है, जो उचित नहीं है । इस संबंध में स्पष्ट न्याय सिद्धांत 1993 राजस्व निर्णय 389 उच्च न्यायालय, 1996 राजस्व निर्णय 251, 1996 राजस्व निर्णय 196 पर आधारित बहादुर सिंह वि0 हरिशंकर 2005 राजस्व निर्णय 410 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि प्रकियात्मक नियम न्याय प्रशासन के लिए हैं, पक्षकारों को दण्डित करने के लिए नहीं ।

5/ उपरोक्त न्याय सिद्धांतों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना आदेश जारी करते समय प्रकियात्मक त्रुटि की गई है, जिससे हितबद्ध पक्षकार प्रभावित हुए हैं, जो इस प्रकरण में अनावेदकगण है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश वैधानिक एवं न्यायसंगत है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः कलेक्टर दतिया का आदेश दिनांक 23–3–06 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19–7–07 स्थिर रखे जाते है तथा निगरानी अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे । पक्षकार सूचित हो । प्र0दा रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर